महत्वपूर्ण एवं खास

झूठी दर्ज कराने के नाम पर परिवार को कर रही थी ब्लैकमेल

10 लाख की मांग करने वाली महिला पर जुर्म दर्ज करने का न्यायिक आदेश

न्याय साक्षी/रायगढ़। कल सी जी एम कोर्ट ने दानीपारा की एक महिला व उसके तीन साथियों के विरुध्द पुलिस को ब्लैकमेलिंग करने का जुर्म दर्ज करने का आदेश दिया हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 45 साल की महिला ने मधुवन पारा के शेख साहेब हुसैन से दस लाख रुपये देने की मांग की थी वरना उसके खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट करने व आत्महत्या करने की धमकी दी थी जिसको लेकर शेख साहेब ने पुलिस में मामले की रिपोर्ट करने की कोशिश की लेकिन जब पुलिस ने उसकी नहीं सुनी तो उसने न्यायालय की शरण ली और अपने वकील आशीष मिश्रा के जरिये सी जी एम न्यायालय में धारा 388,389 व 120 बी के तहत परिवाद दायर कराया जिसमें तथ्यों के परिसीलन के बाद अदालत ने महिला और उसके साथियों पर जुर्म दर्ज करने का आदेश सिटी कोतवाली रायगढ़ को दिया हैं पूरा मामला इस प्रकार हैं उक्त महिला ने पहले तो शेख साहेब को अपने प्रेम जाल में फांसा और फिर शारिरिक संबध बनाये उसके बाद उसने अपने पति व एक अन्य साथी के साथ मिलकर दस लाख रुपये ऐठने के लिये शेख साहेब को ब्लेकमैल करने लगी रकम नहीं देने पर उसे बलात्कार के मामले में फंसाने व आत्महत्या करने की धमकी दी इन तीनों ने महिला से निकाह करने के एक एफिडेवीड (शपथ पत्र)भी शेख साहेब से साइन कराया था। मामले में शेख साहेब की ओर से अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने पैरवी की ।

खेल मैदान में अवैध कब्जे से मिनी स्टेडियम निर्माण में आ रही बाधा

कहीं लेफ्स न हो जाए 50 लाख की स्वीकृति

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ पूर्वी अंचल के ग्राम महापल्ली बटमूल कालेज के सामने मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में तब्दील करने के लिए शासन द्वारा लगभग 50 लाख रुपये स्वीकृति दे दी गई है वही टेंडर भी हो गया है लोकनिर्माण विभाग रायगढ़ के माध्यम से ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है । लोकसभा चुनाव अधिसूचना जारी होने के पूर्व लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों ने पटवारी के साथ स्थल निरीक्षण किया गया जिस स्टीमेट व नक़्शा के आधार पर मिनी स्टेडियम बनाने है उसके हिसाब से उक्त मैदान में शेष बचे जमीन पर्याप्त नहीं है । लगभग 4 एकड़ का उक्त खेल मैदान में 1 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए गये है ।पटवारी द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन भेजे जाने की बात कही जा रही है लेकिन उक्त अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन रुचि नहीं ले रही है ऐसे में रायगढ़ पूर्वांचल का सबसे बड़ा खेल मैदान जहा 1956 में रायगढ़ जिले की सबसे बड़ा टूर्नामेंट इस मैदान के समतलीकरण कर आयोजित किया गया था आज ईस मैदान में राजनीतिक पहुंच वाले रसूखदारों की कब्जा होने के कारण उन्हें हटाने प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बन गई है भले ही उक्त मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए राशि लेप्स क्यों न हो जाय । लोकनिर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी नायक जी से उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नही किया वही उपअभियंता भावना पुलस्त्य ने बताया कि जिस स्टीमेट व नक़्शा पर यह मिनी स्टेडियम बनना है ,उसके लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है ,पटवारी द्वारा सीमांकन करने पर उक्त भूमि पर मकान बने हुए हैं जिसकी कार्यवाही के लिए एस डी एम को पत्र लिखा गया है ।

जीवनदायिनी केलो को बचाने अब होगी सही पहल!

» एनजीटी ने लिया संज्ञान, दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के निर्देश »लंबी लड़ाई के बाद जिला बचाओ संघर्ष मोर्चा को मिली अहम सफलता

न्याय साक्षी/रायगढ़। केलो नदी के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली ने सख्त कदम उठाते हुए रायगढ़ से कनकतुरा तक कुल 15 किलोमीटर में दो सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। जिला बचाओ संघर्ष मोर्चा रायगढ़ ने एनजीटी को धन्यवाद देते हुए जिला प्रशासन से ईमानदारी, निष्ठा एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने की मांग की है।

विगत 15 वर्षों में ड्रेनेज सीवरेज वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाने की यह आठवीं बार योजना है। कलेक्टर अमित कटारिया के कार्यकाल से यह जोर पकड़ा लेकिन हर बार केवल कोरी घोषणा बन कर रह गया। जिला बचाओ संघर्ष मोर्चा, विभिन्न जनसंगठनो, मीडिया एवं प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा किये जा रहे निरन्तर संघर्ष, लगातार उठाये जा रहे सवालों तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने सख्त कदम उठाए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट के आधारपर एनजीटी ने केलो को बचाने व उसके जल को स्वच्छ रखने हेतु दो सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लनाने की योजना का सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। यह रायगढ़ की जनता के लंबे संघर्ष का सुखद परिणाम है।

जल प्रदूषण खतरनाक सीमा से कई गुना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण इतना खतरनाक ही गया है कि पानी स्नान योग्य भी नहीं रह गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छत्तीसगढ़ की नदियों- महानदी, खारुन,हसदेव, शिवनाथ ,अरपा व केलो नदी में लगभग 24 जगहों से सेम्पल लेकर जांच रिपोर्ट तैयार की है। पानी की स्वच्छता का मानक 100 मिलीलीटर पानी में अधिकतम 500 बैक्टीरिया से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। परन्तु जांच रिपोर्ट के अनुसार मानक पैरामीटर से सैकड़ों गुना ज्यादा बैक्टीरिया पाया गया है जो जन जीवन के लिये काफी खतरनाक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे काफी गंभीरता से लिया है।एनजीटी ने इसे काफी गंभीर मानते हुए तत्काल कार्यवाही करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला बचाओ संघर्ष मोर्चा ने जिला प्रशासन एवं विधायक से मांग की है कि रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए केलो और केलो पर आश्रित जन जीवन की रक्षा के लिये एनजीटी के दिशा निर्देश के अनुसार पूरी ईमानदारी और गुणवत्तापूर्ण सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की अविलंब स्थापना किया जाए।

भारी वाहनो की आवाजाही से सड़के हो रही जर्जर

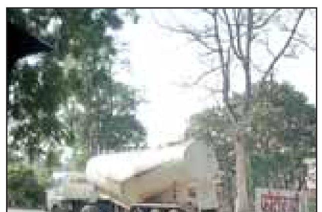

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ क्षेत्र की सड़कों की इन दिनो दुर्गती स्पष्ट दिखाई पड़ रही है।सड़को के जर्जर होने का मुख्य वजह है यहा भारी हैवी वाहनो का आवागमन बेखौफ जारी है क्षमता से अधिक भारी वाहनो की आवाजाही से सारंगढ से चंदाई सारंगढ से हरदी और सारंगढ से दानसरा की पहुँच मार्गो की हालात अत्यंत जर्जर हो गयी है। भारी वाहनो की इस आवागमन की रोक के लिये स्थानीय जनप्रतिनिधियो के साथ ही प्रशासन को त्वरित कार्यवाही करने की अपेक्षा जनमानस द्वारा की गई है।

रेलवे सीढ़ी के नीचे से शिक्षक की बाइक पार

न्याय साक्षी/रायगढ़। दोस्त को जन शताब्दी में बैठाने के लिए बाइक से छोड़ने आना शिक्षक के लिए उस समय परेशानी का सबब बन गया जब हमालपारा में रेलवे सीढ़ी के नीचे रखी हुई उसकी पैशन प्रो बाइक को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए।पुलिस ने मामले की सूचना पर अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 379 का अपराध पंजीबद्ध कर के मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय कुमार चंद्रा पिता शोभा राम चंद्रा निवासी ग्राम बड़े मुड़पार मालखरौदा में शिक्षक की नौकरी करता है ।17 मई को वह अपने दोस्त अमृत उरहैंया को सुबह लगभग 6-55 बजे जन शताब्दी ट्रेन में बिठाने के लिए आया था उसने अपनी पैशन प्रो बाइक क्रमांक एम ए 7835 को हमालपारा में रेलवे सीढ़ी के नीचे खड़ा कर दिया और अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। बाद में जब विजय कुमार चंद्रा लौटा तो देखा कि बाइक अपने जगह पर नहीं हैं तो उसने आसपास पता लगाया पर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। शिक्षक विजय कुमार चंद्रा पिता शोभा राम चंद्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 379 का अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि हमालपारा में रेलवे स्टेशन की सीढ़ी के नीचे से बाइक पार होने का यह पहला मामला नहीं है ।पहले भी इस तरह कई बाइक अज्ञात चोर ले उड़े हैं।

ग्रैंड मोटर्स को 12लाख 96 हजार अदा करने उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश

» सेवा में कमी का बताया दोषी

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला उपभोक्ता फोरम ने आज ग्रैंड मोटर्स बिलासपुर को 12 लाख 96 हज़ार रु अदा करने का आदेश दिया है।

रायगढ़ मिट्ठुमुड़ा के प्रदीप श्रृंगी ने 17 अगस्त 2017 को पुरानी कार एक्सचेंज कर स्कोडा रैपिड कार ग्रैंड मोटर बिलासपुर से खरीदी थी। गाड़ी की आरसी बुक व बीमा के कागजात ग्रैंड मोटर्स ने एक माह पश्चात् देने की बात कही थी। जब काफी दिनों तक रजिस्ट्रेशन व बीमा के कागजात नही मिले तो उन्होंने गाड़ी नम्बर बताने को कहा। जिससे वह अपनी स्कोडा रैपिड पर नम्बर प्लेट लगा सकें। ग्रैंड मोटर्स द्वारा सर्विसिंग के समय वाहन मालिक को कार का नम्बर सीजी 13 - 9780 बताया गया । इसी बीच कार का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जिसे बनवाने के लिए बिलासपुर स्थित शो रूम भेजा गया। तब वाहन मालिक प्रदीप श्रृंगी को ग्रैंड मोटर्स द्वारा वाहन का कम्पुटराइज़्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर छ्त्त13 ˋ9291 बताया गया व बीमा पॉलिसी भी दी गई। एक साल तक गाड़ी शो रुम में रखने के बाद भी मरम्मत नही हो पाई।

ग्रैंड मोटर्स ने आवेदक को टोटल लॉस बताया और वाहन मरम्मत कर वापस नही की तो वाहन मालिक ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने ग्रैंड मोटर्स को सेवा में कमी का दोषी पाया और आवेदक को एक माह के भीतर 12 लाख 96 हज़ार रु देने का आदेश दिया। इस मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता महेंद्र यादव ने पैरवी की और उपभोक्ताओं को उनके अधिकार से अवगत कराते हुए महत्वपूर्ण फैसला वाहन मालिक के पक्ष में करवाया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बॉडी के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठकुर्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षेत्र में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सैद्धान्तिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य व्यक्तियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480